# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

**राजस्व अपील संख्या 136/2023**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. अनसिंह पुत्र मानसिह<br>2. आशुसिंह पुत्र मानसिंह<br>3. भोपालसिंह पुत्र मानसिंह<br>4. तनसिंह पुत्र मानसिंह<br>5. दरियाकंवर पत्नी मानसिंह<br>6. स्व. हडमतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह के का0मुकामः–<br>1. प्रवीणसिंह पुत्र<br>2. निम्बसिंह पुत्र<br>3. झूठसिहं पुत्र<br>4. छलपतसिंह पुत्र<br>5. देशजकंवर पत्नी<br>6. नजरकंवर पुत्री स्वर्गीय हडमतसिंह जातियान –राजपूत निवासी– मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। | | 1. हटसिंह पुत्र खीमसिंह<br>2. अर्जुनसिंह पुत्र खीमसिंह<br>3. महेन्द्रसिंह पुत्र खीमसिंह<br>प्रफॉर्मा रेस्पोडेन्ट<br>4. करणसिंह पुत्र लालसिंह<br>5. मांगूसिंह पुत्र चन्दनसिंह<br>6. गुमानसिंह पुत्र चन्दनसिंह<br>7. बाबूसिंह पुत्र चन्दनसिंह<br>8. मोहनकंवर पत्नी चन्दनसिंह<br>9. देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह सभी जाति–राजपूत निवासी– मवडी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा<br>10. ग्रम पंचायत मवडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मवडी तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। |

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 05.10.2021 जो उपखंड अधिकारी सिवाना, जिला बालोतरा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2021 अनवान हटसिंह वगैराह बनाम ग्राम पंचायत वगैराह में पारित किया गया।

**उपस्थितिः–**

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

### निर्णय

दिनांक 26 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिवाना, जिला बालोतरा के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जिसमें ग्राम पंचायत देवन्दी के द्वारा नामा0 संख्या 227 पर पारित आदेश दिनांक 18.03.1975 के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विरूद्ध पेश की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 227 को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री/निर्णय दिनांक 26.11.1974 प्रकरण संख्या 97/1974 अनवान खीमसिंह बनाम मिसरीया के अनुसरण में खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19.13 बीघा वर्तमान नया खसरा संख्या 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टर मौजा निम्बेश्वर मवडी में रेस्पोडेन्ट खीमसिंह के वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्योंकि अपील को सरसरी तौर पर निर्णित कर फैसला कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 जो वर्ष 1975 में स्वीकृत हुआ उसके 45 वर्ष अवधि बाधित एवं मियाद बाहर अपील पेश की गई है जो पूर्ण रूप से मियाद बाहर पेश की गई और उसे अन्दर मियाद स्वीकार करने का कोई सार्थक कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त नामा0 रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन के पिता द्वारा आवेदन करने के आधार पर ही स्वीकृत किया गया था। रेस्पो0 के पिता खीमसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त नामा0 के बारे में कोई अपील नहीं की और न कोई एतराज किया। उक्त नामा0 की जानकारी खीमसिंह के परिवार वालो को प्रारम्भ से ही रही है, ऐसे में प्रथम अपील को मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये था। ऐसे में यह द्वितीय अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि सन् 1975 से संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में रही है एवं अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से काबिज रहे, इस दौरान कई सहखातेदारान फौत हो गये जिसनके वारिसान के नाम भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवर्तन हेतु विरासत का नामा0 स्वीकार किया गया। इतना ही नहीं स्वयं खीमसिंह वर्ष 2013 में फौत हुए तो उनके हिस्से की भूमि का नामा0 रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के नाम से स्वीकार किया गया एवं उनकी बहिनों ने उनके पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित किया था। इस कारण रेस्पोडेन्ट का कथन मानने योग्य नहीं था कि उन्हें इस आदेश की जानकारी पहले नहीं थी। धारा 05 अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मिथ्या एवं बनावटी कथन लिखे गये जिन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है उन्होंने सही तथ्यों को

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त जोधपुर

छुपाया है। राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजों के अनुसार जिस सहखातेदार के हिस्से में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि पर सहखातेदार संयुक्त रूप से आज भी काबिज है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी के द्वारा लिखित आपत्तियॉ व दस्तावेज पेश किये गये थे जिनका कोई जिक्र अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के जबानी कथनों के आधार पर फैसला दे दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस ग्राम पंचायत, देवान्दी के द्वारा नामा0 को स्वीकृत किया गया था, उस ग्राम पंचायत का कोई रेकर्ड तलब ही नहीं किया गया एवं अपीलाधीन आदेश में अंकित कर दिया कि अपीलाधीन नामा0 से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पचांयत मवडी में उपलब्ध ही नहीं है। जबकि नामा0 रेकर्ड को तलब किया जाना आवश्यक था। अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के पश्चात फौतेदगी नामा0 संख्या 165, 299 एवं 197 भी स्वीकृत हुए, जिनकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को प्रारम्भ से ही रही थी, ऐसे में इससे पूर्ववर्ती नामा0 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत होने के पश्चात खीमसिंह के द्वारा लम्बे समय तक उसे निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जबकि उन्हें नामा0 में दर्ज अंकन एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के नाम भूमि हिस्सा दर्ज किये जाने का प्रारम्भ से ज्ञान था और उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसे में उनकी मौन स्वीकृति रही थी। श्री खीमसिंह के देहान्त उपरान्त उनके पुत्रों के द्वारा नामा0 को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की जाने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है और प्रथम अपील पेश करने में हुए विलम्ब को बिना किसी ठोस आधार के क्षमा नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत अपने आदेश में अपना विवके नहीं दर्शाया। मात्र रेस्पोडेन्टस के कथनों को ही दर्शाते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार कर लिया और नामा0 संख्या 227 को निरस्त करते हुए खीमसिंह के वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत किये जाना का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0सं0 एक ता चार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि खेत ख0सं0 352/1 रकबा 19.13 बिस्वा के वर्तमान नया ख0सं0 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टर मौजा निम्बेश्वर मवडी में अवस्थित है जो पूर्व में त्रुटिवश मिसरिया पुत्र

संभागीय आयुक्त.
जोधपुर

पनिया के नाम दर्ज हो गई थी जबकि कब्जा काश्त मौके पर रेस्पोडन्टस के पिता खीमसिंह का था। खीमसिंह के द्वारा सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष प्रतिवादी मिसरिया के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधिकारों की घोषणा का पेश किया जिसमें सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा वाद को स्वीकार कर दिनांक 26.11.1974 के आदेश पारित कर भूमि की खीमसिंह के पक्ष में डिक्री पारित कर दी। उक्त डिक्री की पालना में ख0सं0 508/352 को खीमसिंह के नाम दर्ज करनी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा खीमसिंह के स्थान पर वर्तमान अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट के नाम भी अपीलाधीन नामा0 संख्या 227 में संयुक्त रूप से दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया जबकि उक्त डिक्री में किसी अन्य का नाम दर्ज नहीं था। उक्त स्वीकृत नामा0 आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत को सहायक कलेक्टर बालोतरा की जारी डिक्री की हुबहु पालना करनी थी जिसके अनुसार केवलमात्र खीमसिंह के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना था। पटवारी हल्का के द्वारा नामा0 खोला जाकर भू0अ0 निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिस पर भू0अ0 निरीक्षक द्वारा बाद जॉच अंकन रेकर्ड व दस्तावेज अनुसार सही होना बता दिया एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी पटवारी हल्का के द्वारा खीमसिंह के साथ रेस्पोडेन्टस के पूर्वज के नाम भी अंकित किये गये नामा0 को बिना किसी जॉच के ही दिनांक 18.03.1975 को स्वीकृत कर दिया। उक्त निर्णय की जानकारी हम अपीलान्टस को दिनांक 17.02.2021 में हुई तब नामा0 इत्यादि की नकले प्राप्त कर प्रथम अपील पेश की गई।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि सहायक कलेक्टर बालोतरा के द्वारा जो डिक्री में निर्णय दिया गया था उसी अनुसार राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा अक्षरशः पालना की जानी थी, परन्तु डिक्री की पालना में एकमात्र खीमसिंह का नाम दर्ज नहीं कर अन्य व्यक्तियों को भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते हुए उन्हें खातेदार बना दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दर्ज होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्य पक्षकारान (अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस) को नोटिस जारी किये गये एवं जिस पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना लिखित में जबाब इत्यादि पेश किया गया, उसके उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई उपरान्त न्याय की दृष्टि के अनुरूप नियम विरूद्ध स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 227 को निरस्त

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हुए खीमसिंह के वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जो विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावें।

हमने पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एंवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा प्रथम अपील में अपीलाधीन नामा0 संख्या 227 स्वीकृति दिनांक 18.03.1975 को निरस्त करते हुए खीमसिंह के वारिसान के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जबकि उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त दर्ज प्रविष्टी में अन्य सहखातेदारों यानि अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस के पूर्वज के नाम भी अंकित हो रखे है जिनके पक्ष में अब तक दर्ज रहे इन्द्राज के सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विवेचन अपने अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है और न ही उनको अपना पक्ष रखे जाने का कोई आदेश दिया गया है जबकि नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा आवश्यक होता है। ऐसे में हमारी विनम्र राय में उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथानुसार संशोधित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2021 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि "न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 26.11.2074 प्रकरण संख्या 97/1974 अनवान खीमसिंह बनाम मिसरिया के अनुसरण में खेत खसरा संख्या 352/1 रकबा 19.13 बीघा वर्तमान नया खसरा संख्या 508/352 रकबा 3.1808 हैक्टर ग्राम निम्बेश्वर मवडी में अपीलान्ट खीमसिंह के वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत किये जाने" के स्थान पर उक्त डिक्री/निर्णय के कम में स्वीकृत नामा0 संख्या 227 ग्राम मौजा निम्बेश्वर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सिवाना इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 227 में दर्ज सभी हितबद्ध व्यक्तियों/इस अपील में संस्थित पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर पक्ष रखने का पर्याप्त अंवसर देने के उपरान्त तथा डिक्री/निर्णय को रेकर्ड पर रखते हुए विधि अनुरूप पुनः नामा0 दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर